पत्रांक–..........................

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

मंडल कारा, बेतिया में दिनांक 27.06.2014 को विचाराधीन बंदी विरेन्द्र कुमार की मृत्यु के संबंध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के अंतरिम जाँच प्रतिवेदन में मृत बंदी के साथ मारपीट की घटना के लिए श्री जगत नारायण पासवान, उपाधीक्षक, मंडल कारा, बेतिया को प्रशासनिक विफलता एवं कारा नियंत्रण के सर्वथा अभाव के कारण, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के आदेश ज्ञापांक 3486 दिनांक 27.06.2014 के द्वारा निलंबित किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य मामले में शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में दिनांक 26.06.2014 को एक विचाराधीन बंदी भगरासन माँझी द्वारा आत्महत्या किये जाने के क्रम में कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में सजगता नहीं बरते जाने के कारण उपाधीक्षक श्री श्रीमन्ननारायण हिमांशु को निरीक्षणलाय के आदेश ज्ञापांक 3483 दिनांक 27.06.2014 द्वारा निलंबित किया गया है। उक्त दोनों कर्मियों के निलंबन एवं कारा की संवदेनशीलता, महत्ता एवं रिक्त पद को देखते हुए उक्त पदों पर पदस्थापन आवश्यक है। अतः कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर उनके नाम के सामने स्तंभ–5 में अंकित कारा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	कर्मी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कारा का नाम	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	श्री रमेश प्रसाद, उपाधीक्षक	गया	मंडल कारा, नवादा और आदेश ज्ञापांक 3257 दिनांक 17.06.2014 द्वारा केन्द्रीय कारा, मोतिहारी हेतु स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए आदेशित।	मंडल कारा, बेतिया	आदेश ज्ञापांक 3257 दिनांक 17.06.2014 को इस अंश तक संशोधित किया जाता है।
2	श्री सुधीर कुमार, सहायक अधीक्षक	सुपौल	मंडल कारा, दरभंगा	शहीद खुदी राम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर	

2. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में स्थानान्तरित कर्मियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य कर्मी को प्रभार दिलाते हुए दिनांक 29.06.2014 तक अनिवार्य रुप से विरमित करते हुए उन्हें अपने नव पदस्थापन कारा पर निश्चित रुप से दिनांक 30.06.2014 तक बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये योगदान करने का निदेश भी दें। इस संबंध में दिनांक 30.06.2014 को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. सभी स्थानान्तरित कर्मियों के माह जुलाई, 2014 का वेतन नव पदस्थापित कारा से देय होगा।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अरा0)01–32/11...3491...पटना, दिनांक....28...जून, 2014।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सभी संबंधित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा/सभी संबंधित उपाधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अरा0)01–32/11...3491...पटना, दिनांक...28...जून, 2014।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को अपने वृताधीन कारा से केन्द्रीय कारा, मोतिहारी में किसी उपाधीक्षक/सहायक अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अरा0)01–32/11...3491...पटना, दिनांक...28...जून, 2014।

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अरा0)01–32/11...3491...पटना, दिनांक...28...जून, 2014।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/स्था0 (अरा0)01–32/11...3491...पटना, दिनांक...28...जून, 2014।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

28.6.14

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।